International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नवीन नेपाली संविधान और असहमति के मुद्दे

डॉ राजू मोची
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग
डी.के. कॉलेज डुमराँव
आरा विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई

सारांश

देश की शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी मूलभूत आदर्शों और नियमों के लिए राष्ट्रीय सहमति से निर्मित कानूनी दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। सहमति पर आधारित होने की वजह से यह लोगों को आपस में जोड़ता है और उनके बीच एक मजबूत संबंध तैयार करता है। तभी राष्ट्रीय एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह पाती है।

लेकिन नेपाल के वर्तमान संविधान के लागू होने के बाद ऐसे कई मुद्दे उभरकर सामने आए हैं, जिन पर देश के अलग-अलग समुदायों का दृष्टिकोण सिर्फ भिन्न ही नहीं, अपितु विरोधी है, जो किसी भी नव-लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। देश के दक्षिण में रहने वाले और बहुसंख्यक मधेशी लोग अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। देश की धर्मनिरपेक्ष छवि से कुछ लोगों को तकलीफ है। देश के एक हिस्से में शोषित और उपेक्षित होने का भाव घर करता जा रहा है और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश के अंदर की असहमति का असर वैदेशिक और पड़ोसी संबंधों पर भी पड़ रहा है। ये सभी संकेत बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं।

दुखदायी तथ्य यह है कि इन आशंकाओं और असहमतियों के निवारण की कोई विश्वसनीय कोशिश होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में नेपाल के सामने बड़ी समस्या न खड़ी हो जाए, जो भारत जैसे पड़ोसी के लिए खतरनाक बात होगी। प्रस्तुत आलेख में नेपाल के नवीन संविधान और उससे जुड़ी असहमति के मुद्दों का अध्ययन किया गया है।

कुंजी शब्द: असहमति, नवीन संविधान, नेपाल, लोकतंत्र, मधेशी, एकता-अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता

प्रस्तावना

सितंबर 2015 **में तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरन यादव ने नवनिर्मित नेपाली संविधान के लागू होने की घोषणा की।** 1996 **से ही नेपाल माओवादी हिंसा से जूझ रहा था और अगले दस वर्षों तक वह इसमें लगातार झुलसता रहा।**

ऐसे देश के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण बेशक एक शानदार उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन इस संविधान ने जितने मुद्दों का समाधान किया, उससे ज्यादा मुद्दों को इसने जन्म भी दे दिया। देश के एक बड़े तबके में इसने हाशियाकरण का भाव भर दिया है। ऐसे कई मुद्दे उभरकर सामने आ रहे हैं, जिन पर राष्ट्रीय सहमति का सर्वथा अभाव है।

धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता के मामले पर बहस संवैधानिक सभा में निरंतर बनी रही। काफी लंबे समय से हिंदू राष्ट्र बने रहने के कारण नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। देश के तीन बड़े राजनीतिक दलों ने प्रारूप संविधान में संयुक्त रूप से संशोधन प्रस्ताव रखा, जिसमें धर्मनिरपेक्षता को इस प्रकार परिभाषित किया गया—

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

"प्राचीन काल से माने जा रहे धर्म और संस्कृति का संरक्षण तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता।"

लेकिन संविधान में धर्मनिरपेक्षता की इस प्रकार की परिभाषा रखने से वस्तुतः नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मंशा स्पष्ट झलकती है। प्राचीन काल के धर्म को संरक्षण देकर तीनों राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।

विभिन्न धार्मिक समूह, वंचित समूह और दलित समूह चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष संविधान बने, जिससे उन्हें कट्टरपंथी हिंदू रीति-रिवाजों से उत्पन्न भेदभाव से मुक्ति मिले। नेपाल की जनसंख्या के 30 प्रतिशत जातीय समूह भी धर्मनिरपेक्ष संविधान के पक्ष में थे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जैसे दल और हिंदू संगठन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे।

बहुत से मूलवासी और जातीय समूह जीववादी हैं, जो यह मानते हैं कि हिंदू धर्म के कारण उनकी पहचान फीकी पड़ रही है। एक धर्म के प्रभाव में वृद्धि के फलस्वरूप किरात धर्म में यकायक बढ़ोतरी हुई। 2001 और 2011 के जनगणना के आँकड़ों की तुलना करें तो हम देखेंगे कि इस धर्म में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किरात एक मूलवासी समूह है, जिसकी स्वयं की सभ्यता और इतिहास है और यह एक धर्म के वर्चस्व से पीड़ित रहा है।

वर्तमान धर्मनिरपेक्षता के पहलू द्वारा सभी धर्मों और समुदायों के हितों की रक्षा समान रूप से की जानी चाहिए तथा उन्हें अपना धर्म मानने और उसका अवलंबन करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने नेपाल में नए संविधान की घोषणा होने पर इसका स्वागत किया है। विश्व शक्तियों एवं संयुक्त राष्ट्र एवं यूरोपीय संघ जैसे समुदायों ने नेपाल में चल रहे आंदोलन और संवैधानिक संकट को वार्ता द्वारा शांतिपूर्वक सुलझाने की मंशा जाहिर की है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि, "चीन तहेदिल से नए संविधान की घोषणा पर नेपाल को बधाई देता है तथा यह उम्मीद करता है कि इस अवसर से नेपाल में राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और विकास स्थापित होगा।"

पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेपाल द्वारा नए संविधान को ग्रहण करने के मौके पर बधाइयाँ दीं और कहा कि, "हम नेपाल की सरकार और राजनीतिक दलों का इस उपलब्धि पर अभिनंदन करते हैं। पाकिस्तान को यह विश्वास है कि नया संविधान नेपाल में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा।"

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नए संविधान की घोषणा के मौके पर नेपाल के लोगों को बधाइयाँ दीं।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेपाल में नए संविधान की घोषणा पर कहा कि नेपाल सरकार को सभी नेपालियों के विचारों और इच्छाओं को समाहित करने का सतत प्रयास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित भी किया जाए कि वैश्विक सिद्धांतों और मानदंडों जैसे लैंगिक समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकता के अधिकार को संविधान में शामिल किया जाए।

यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा कि यूरोपीय संघ यह उम्मीद करता है कि सभी दल एकजुट होकर संवाद और सहमति के वातावरण में नेपाली नागरिकों के समक्ष आई चिंताओं को सुलझाएँगे।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि यह नया संविधान समावेशी, व्यापक रूप से समर्थित तथा समानता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करे।

इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की प्रतिक्रिया कुछ हद तक भारत से साम्यता रखती है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का समर्थक रहा है, बल्कि भारत की कोशिशों से ही नेपाल की राजनीतिक पार्टियाँ और माओवादी एक साथ आकर लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए तैयार हुए थे। ऐसे में भारत को नेपाल में संविधान लागू होने से खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया इस पर काफी तल्ख रही। इसकी मुख्य वजह मधेशियों का असंतोष है।

मधेशी भारतीय मूल के हैं और वे भारत की सीमा से लगे इलाकों में रहते हैं। खासकर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से मधेशियों के गहरे संबंध हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में अशांति का असर भारत पर भी पड़ेगा।

भारत की यह भी आपत्ति रही कि वर्ष 2007 में अंतरिम संविधान बनाते वक्त जो आश्वासन नेपाल की राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें दिए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया। तब यह तय किया गया था कि सभी वर्गों और समूहों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।

भारत द्वारा नए संविधान में संशोधन के सुझाव

भारत ने नए संविधान का अवलोकन करने के पश्चात संविधान में संशोधन के निम्नलिखित सात सुझाव दिए—

1. अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 63(3) के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का गठन जनसंख्या, भौगोलिकता और विशिष्ट लक्षणों के आधार पर होगा, "और मधेश के मामले में यह जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर रहेगा।" इस प्रावधान के तहत मधेशी जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है और उन्हें संसद में 50 प्रतिशत स्थान मिलना चाहिए। बाद में नए संविधान के अनुच्छेद 84 में इसका लोप कर दिया गया। भारत सरकार का मानना है कि इसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे मधेशियों को जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्रों में उनका स्थान मिले।

2. अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित था कि देश के विभिन्न समूहों को राज्य की संरचना में आनुपातिक समावेश के सिद्धांत के आधार पर सहभागी बनने का अवसर दिया जाएगा। नए संविधान के अनुच्छेद 42 से 'आनुपातिक' शब्द को हटा दिया गया। भारत का सुझाव है कि इसे पुनः शामिल किया जाए।

3. नए संविधान का अनुच्छेद 283 वर्णित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, प्रांतों के प्रमुख, मुख्यमंत्री, प्रांतीय सभाओं के अध्यक्ष तथा सुरक्षा विभागों के उच्च अधिकारियों के पदों पर वे ही नागरिक आ सकते हैं, जिन्हें वंशानुगत आधार पर नागरिकता मिली है। यह प्रावधान उन बहुसंख्यक मधेशियों के साथ भेदभाव करता है, जिन्होंने नागरिकता जन्म और देशीयकरण के आधार पर प्राप्त की है। भारत का सुझाव है कि संशोधन द्वारा जन्म और देशीयकरण के आधार पर प्राप्त नागरिकता को भी इसमें शामिल किया जाए।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

4. नए संविधान का अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रीय सभा में 7 प्रांतों से 8 सदस्य चुने जाएंगे तथा 3 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। मधेशी दल चाहते हैं कि राष्ट्रीय सभा में प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत इस बिंदु का समर्थन करता है।

5. पाँच विवादास्पद जिले—कंचनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा और मोरांग—को पड़ोसी प्रांत मधेश में शामिल किया जाना चाहिए।

6. अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 154 में वर्णित था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे नए संविधान में 20 वर्ष कर दिया गया। मधेशियों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसका समर्थन भारत ने किया।

7. नए संविधान का अनुच्छेद 11(6) कहता है कि यदि कोई नेपाली नागरिक विदेशी महिला से विवाह करता है तो उस महिला को संघीय कानून के अनुसार देशीयकरण द्वारा प्रदत्त नागरिकता मिलेगी। मधेशियों की माँग है कि देशीयकरण की नागरिकता स्वतः ही मिलनी चाहिए। इस बिंदु का भी भारत समर्थन करता है।

भारतीय कदम पर नेपाल की प्रतिक्रिया

भारत द्वारा दिए गए इन सुझावों का नेपाल के राजनेताओं ने स्वागत नहीं किया। नेपाल के मीडिया ने इसकी भर्त्सना करते हुए इसे भारत का अनावश्यक हस्तक्षेप कहा। नेपाल मूल की विदुषी मल्लिका शाक्य इस मसले पर कहती हैं कि भारत का यह हस्तक्षेप नेपाली लोगों में ध्रुवीकरण को बढ़ाता है और नेपाल की एकीकृत राजनीति में विरोधाभास पैदा करता है। अतः इस समस्या का हल नेपाल को स्वयं ही निकालने देना चाहिए।

नेपाल विशेषज्ञ प्रो. एस. डी. मुनि इस बारे में कहते हैं कि इस प्रकार के ध्रुवीकरण में भारत का किसी एक पक्ष का साथ देना न तो बुद्धिमानी की नीति है और न ही प्रभावशाली कूटनीति है।

नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के प्रमुख पुष्प कमल दहाल उर्फ़ प्रचंड ने कहा कि उनका देश भारत से अच्छी दोस्ती चाहता है, लेकिन नेपाल को कोई 'यस मैन' के रूप में देखे, यह मुमकिन नहीं है।

नेपाल में भारतीय सीमा से लगे अनेक हिस्सों में नए संविधान को लेकर हिंसक प्रदर्शनों पर भारत द्वारा चिंता जताए जाने के बाद प्रचंड ने यह बात कही। प्रचंड ने भारत की प्रतिक्रिया पर कहा कि नेपाली जनता के लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद संविधान आया है। नेपाल की संविधान सभा शांति प्रक्रिया के साथ जुड़ी थी। इस प्रक्रिया में भारत का शुरू से ही सहयोग और सद्भाव रहा है।

जब संविधान बना तो हमें उम्मीद थी कि भारत को भी अनुभूति होगी और वह इसका स्वागत करेगा, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत को इसे लेकर कुछ आपत्तियाँ हैं। इसका हमें थोड़ा दुख है।

'काठमांडू पोस्ट' ने इस बारे में कहा कि दिल्ली अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीमा का उल्लंघन कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। नेपाली अख़बार 'कांतिपुर' ने लिखा कि ये समस्याएँ हमारे लिए सुलझाने के लिए हैं। एक पड़ोसी देश आए और हमारी आंतरिक समस्याओं एवं चुनौतियों को सुलझाए, यह हमें स्वीकार नहीं है। 'द राइजिंग नेपाल' ने लिखा कि भारत ने अभी तक नेपाल के नए संविधान का स्वागत नहीं किया है, जो कि भारत की सीमा से लगे तराई क्षेत्र में अस्थिरता लाएगा।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नए संविधान से असंतुष्ट मधेशियों के आंदोलन के चलते संविधान की घोषणा के तुरंत बाद ही भारत-नेपाल सीमा पर अघोषित नाकेबंदी हो गई, जिससे नेपाल में खाद्य एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बंद हो गई। नेपाल ने इसका आरोप भारत पर लगाते हुए कहा कि भारत यह दबाव जान-बूझकर बना रहा है। वहीं भारत का कहना है कि इस प्रकार की आर्थिक नाकेबंदी की उसने कोई घोषणा नहीं की है।

नेपाल के उपप्रधानमंत्री ने इस आर्थिक नाकेबंदी के मामले को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के समक्ष भी रखा है। यह कदम दोनों देशों के मध्य अविश्वास एवं कटुता को और गहरा करता है।

यदि यह गतिरोध की स्थिति आगे बनी रही तो काफी उद्योग एवं कारोबार बंद करना पड़ेगा, जिसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि खुली सीमा होने की वजह से दोनों देशों के मध्य व्यापार निर्बाध रूप से चलता है। अतः इससे पहले कि भारत-नेपाल संबंधों में कटुता और बढ़े, दोनों देशों को बिना समय गंवाए कूटनीतिक रास्ते से इस मसले का हल करना चाहिए।

वर्तमान गतिरोध का भविष्य

नेपाल के पूर्व संविधानों की रचना के दौरान यह देखा गया है कि जब कभी जातीयता, शासन, भाषा और क्षेत्रीय समस्याओं को अनदेखा किया गया है, तो इसकी पुनरावृत्ति बाद में मुख्य मुद्दों के रूप में सामने होती है, जिसके कारण देश में जन-आंदोलन और क्रांति का जन्म होता है।

नए संविधान द्वारा स्थिरता लाने के लिए संवैधानिक सभा को देश में उठती माँगों और आवाज़ों को सुनना चाहिए था और उन्हें समाहित करना चाहिए था।

भारत को ज़रूरत है कि वह अपने कूटनीतिक दृष्टिकोण को नरम रखे और अपने आपको सीमांत समूहों तथा नेपाल सरकार के खेमे के साथ एक सार्थक संवाद के जरिए जोड़े। इस प्रकार उप-क्षेत्रीय एकीकरण मजबूत होगा, जिस पर भारत ने हमेशा ज़ोर दिया है।

नेपाल का संविधान लचीला है और इसमें संशोधन की गुंजाइश का क्षेत्र व्यापक है। राजनीतिक इच्छा द्वारा वर्तमान गतिरोध और संकट का तार्किक हल निकाला जा सकता है।

लेकिन मधेशी और दक्षिणी नेपाल तथा कुछ पश्चिमी जिलों में थारू जातीय समुदाय नए संविधान के खिलाफ हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह मधेशी और थारू जातीय समुदायों की ओर से उठाई गई चिंताओं का समाधान करने में असफल रहा है।

भारत ने नेपाल में जारी हिंसा को लेकर चिंता जताई है। भारत ने विदेश सचिव एस. जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत के तौर पर नेपाल भेजा था, ताकि नेपाली नेतृत्व से आग्रह किया जा सके कि वह सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान करे।

जयशंकर ने कहा था कि संविधान लागू होना खुशी का मौका होना चाहिए, हिंसा का नहीं। बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने आंदोलनकारी मधेशी और थारू समूहों से अपील की थी कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और बातचीत के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा था कि सभी समस्याओं का हल समझौते और साथ काम करके किया जा सकता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नवीन संविधान और नागरिकता का मुद्दा

नेपाल में नागरिकता प्रमाण-पत्र किसी भी नेपाली व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, पर इसे पाना बड़ा ही कठिन है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब बीस लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास यह दस्तावेज़ नहीं है। इसका मतलब है कि ये लोग नेपाल के निवासी हैं, लेकिन नागरिक नहीं हैं।

कई लोगों को भय है कि नेपाल के नए संविधान में ये नियम और कड़े किए जा सकते हैं। नागरिकता से संबंधित इन प्रावधानों की वजह से कई लोग अजीब परेशानी में पड़ गए हैं।

नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी शरद भेस्वाकर देश के बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं। वे नेपाल की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन देश के अधिकृत नागरिक नहीं हैं। उनका पूरा जीवन नेपाल में बीता है। उनकी माँ नेपाली हैं, पर उनके पिता भारतीय थे।

नेपाल के कानून के मुताबिक उन्हें नागरिकता हासिल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक नागरिकता हासिल करने की उनकी कोशिश नाकाम रही है।

उनकी माँ भगवती छेत्री इस असहाय स्थिति पर कहती हैं, "मैं पिछले आठ साल से नागरिकता प्रमाण-पत्र लेने की कोशिश कर रही हूँ। साल भर में मैं जो भी बचाती हूँ, वह सब इसी कोशिश में खर्च हो जाता है। अब तो बिना नागरिकता प्रमाण-पत्र के कोई मकान भी किराए पर नहीं देता। मेरा तो चल गया, पर मेरे बच्चों का क्या होगा? बिना इसके वे कैसे रोज़ी-रोटी कमाएँगे?"

शरद इस मुद्दे पर कहते हैं, "यह बहुत ही लंबा किस्सा है। आठ-नौ साल से मैं इस जद्दोजहद में लगा हूँ, पर समस्या वहीं की वहीं है। कई बार यह मामला बेहद परेशान कर देता है।"

कुछ साल पहले नेपाल सरकार ने एक विशेष मामला मानते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने जाने के लिए एक पासपोर्ट जारी किया था, पर शरद अभी भी नेपाली नागरिक नहीं हैं।

बिना नागरिकता प्रमाण-पत्र के वे बैंक में खाता नहीं खोल सकते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते और उच्च शिक्षा के लिए प्रयास भी नहीं कर सकते।

नेपाल नागरिकता अधिनियम, 2006 के मुताबिक नेपाल में 16 साल की उम्र में किसी को भी नागरिक घोषित किया जा सकता है, बशर्ते आवेदक के माता या पिता ने उसके आवेदन पर हस्ताक्षर किए हों।

लेकिन इसके बावजूद पुरुष-प्रधान समाज में महिलाओं को अपने बच्चों को नागरिकता दिलाने में काफी दिक्कत पेश आती है, खासकर वैसी स्थिति में जब पिता न हों या फिर पिता नेपाल के नागरिक न हों।

महिलाएँ अधिक परेशान

प्रारूप में कहते हैं कि नेपाल में नागरिकता के लिए माता और पिता दोनों का नेपाली होना ज़रूरी है, तभी किसी को नागरिकता मिल पाएगी। किसी एक के नेपाली होने से काम नहीं चलेगा।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के समन्वयक रॉबर्ट पाइपर कहते हैं, "ऐसी समस्या वाले लोगों की संख्या संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों से कहीं ज़्यादा हो सकती है। नेपाल के चुनाव आयोग ने गाँवों में लोगों से बात की थी और 20

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 5, May 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

लाख से ज़्यादा लोग अपने नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं दे पाए। उन्होंने शहर में लोगों से अभी बात ही नहीं की है।"

नेपाल की संविधान सभा की सदस्य उषाकला राय कहती हैं, "कई महिलाएँ हिंसा और भेदभाव का शिकार होती हैं। खास तौर पर ऐसी महिलाएँ, जो काम-काज के लिए बाहर जाती हैं, जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं या जिनका तलाक हो चुका है, उनके और उनके बच्चों को नागरिकता से वंचित होना पड़ सकता है।"

नेपाल में नागरिकता एक संवेदनशील मुद्दा है। नेपाल के सरकारी अधिकारियों और नेताओं को लगता है कि उन्हें इस मामले में सख्त होना ही होगा, क्योंकि नेपाल तीन तरफ से भारत जैसे विशाल और बड़ी आबादी वाले देश से जुड़ा है।

राजनेता कहते हैं कि नए संविधान में वे औरतों के खिलाफ भेदभाव को दूर कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि मामला दावे के उलट है।

संयुक्त राष्ट्र के रॉबर्ट पाइपर कहते हैं, "प्रारूप में कहते हैं कि नेपाल में नागरिकता के लिए माता और पिता दोनों का नेपाली होना ज़रूरी है, तभी किसी को नागरिकता मिल पाएगी। किसी एक के नेपाली होने से काम नहीं चलेगा।"

नागरिकता के नियम अभी पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों में भय है कि अगर प्रारूप में मौजूद प्रस्ताव मान लिए गए तो लाखों लोग मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाएंगे।

कोरोना संकट के बीच नेपाली नागरिकता के नए प्रावधानों का ऐलान

तीन भारतीय क्षेत्रों को अपने नए नक्शे में शामिल करने के कानून को पास करने के बाद 19 जून को नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सचिवालय बैठक में भारतीयों के लिए नागरिकता कानून में बदलाव को मंजूरी दी गई।

'टाइम्स नाउ' के अनुसार, नेपाल सरकार द्वारा लाए गए संशोधन को सही ठहराने के लिए नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने भारत के नागरिकता कानून का उदाहरण दिया।

थापा ने घोषणा की कि नए कानून के अनुसार नेपाली नागरिक से शादी करने वाली किसी भी भारतीय लड़की को नागरिकता हासिल करने के लिए सात साल का इंतजार करना पड़ेगा।

उन्होंने इसके लिए भारतीय कानून का हवाला दिया, जिसके तहत किसी विदेशी नागरिकता वाले व्यक्ति को किसी भारतीय से शादी करने के सात साल बाद ही नागरिकता दी जाती है।

हालाँकि, नेपाल के गृह मंत्री ने अपने बयान में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि भारतीय नागरिकता कानून का यह प्रावधान नेपाली नागरिकों पर लागू नहीं होता है।

निष्कर्ष

अंत में निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि नेपाल का नवीन संविधान निस्संदेह दशकों की माओवादी हिंसा से जूझ रहे हिमालयी देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके सहारे इसने राजतंत्र से लोकतंत्र का सफर तय किया है।

लेकिन संविधान की एक बुनियादी शर्त यह होती है कि यह राष्ट्रीय सहमति पर आधारित हो और वह सर्वग्राह्य हो। इस कसौटी पर नेपाली संविधान पूरी तरह खरा नहीं उतरता है।

इसने असहमति के कई बिंदुओं को जन्म दिया है, जिसका समाधान होने पर ही नेपाल का भविष्य टिका है।

संदर्भ

1. Sanjay Kumar, "Nepal Tests India's Much Touted Neighborhood Diplomacy", The Diplomat, September 26, 2015.

2. Hari Phuyal, "Nepal's New Constitution: 65 Years in the Making", The Diplomat, 18 September, 2015.

3. Nepal's New Constitution: 65 Years in the Making, The Diplomat.

4. Nepal enshrines the Right to Food in new constitution.

5. **अवधेश कुमार**, "**नेपाल का नया संविधान भेदभावपूर्ण**", **पीपुल्स समाचार**, September 27, 2015.

6. "**भारत का 'यस मैन' नहीं बनेगा नेपाल**: **प्रचंड**", **खास खबर**, September 22, 2015.

7. "Nepal ruling communist party amended citizenship law for Indians", The Wire Hindi.